



2026:AHC-LKO:20089

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10729 वर्ष 2025

अमित कुमार

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	: राम राज ओझा, राम सजीवन यादव
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, चन्द्र भानु सिंह

न्यायालय संख्या - 23माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

(एल.ए. संख्या 4 वर्ष 2026)

यह एक आवेदन है, जिसके माध्यम से जमानत आवेदन के मेमो में संशोधन की प्रार्थना की गई है, जो शपथपत्र द्वारा समर्थित है।

समुचित विचारोपरांत, संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

तदनुसार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आज ही के दौरान जमानत आवेदन के मेमो में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(जमानत आवेदन पर आदेश)

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह प्रथम जमानत आवेदन है, जो आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जो वाद अपराध संख्या 489 वर्ष 2024, धारा 506, 471, 468, 467, 420, 419, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ से संबंधित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि दोनों पक्षकारों के मध्य दिनांक 17.02.2026 के समझौता पत्र (परिशिष्ट-संख्या एस.ए.-1) के माध्यम से समझौता संपन्न हो चुका है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को ₹1,50,000/- बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा ₹30,000/- नगद (कुल ₹1,80,000/-) प्राप्त हो चुके हैं। आवेदक यह भी आश्वासन देता है कि वह शेष राशि ₹1,70,000/- शिकायतकर्ता को अपनी रिहाई की तिथि से छह माह के भीतर अदा करेगा।

यह भी निवेदित किया गया है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 31.07.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी कहा गया है कि आवेदक के जमानत पर रिहा होने के उपरांत उसके फरार होने अथवा अभियोजन साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के उपरांत, तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक दिनांक 31.07.2025 से कारागार में निरुद्ध है एवं उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, तथा वाद के गुण-दोष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में प्रवेश किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

आवेदक— **अमित कुमार**, जो उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त है, को उक्त वाद में जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त पर कि वह संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि में एक निजी मुचलका तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक उपर्युक्त उल्लिखित राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, तो शिकायतकर्ता/अभियोजन को जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

मामले की परिस्थितियों के अनुसार, विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा जो भी अन्य शर्तें उचित एवं न्यायोचित समझी जाएँ, वे भी आरोपित की जा सकती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक सीमित हैं तथा इनका वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

दिनांक: 19 मार्च, 2026

श्रवण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।